शिक्षा का अधिकार

समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/कक्षा 5,8/2024-25/..46.. भोपाल, दिनांक 03/01/2025

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय- कक्षा 5 व 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन एवं सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ करने विषयक।

संदर्भ- 1. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/कक्षा 5 व 8/2024-25/4247, भोपाल दिनांक 11.09.2024

2. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन 5 व 8/2024-25/5622, भोपाल दिनांक 13.12.2024

3. राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/कक्षा 5 व 8/2024-25/5789, भोपाल दिनांक 20.12.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा दिनांक 24.02.2025 से प्रारंभ की जाएगी। परीक्षा हेतु प्रदेश की समस्त शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाईस कोड प्राप्त मदरसों में कक्षा 5 व 8 में अध्ययनरत छात्रों का परीक्षा पोर्टल पर पंजीयन एवं सत्यापन कराया जाना है।

वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए परीक्षा पोर्टल (www.rskmp.in) पर शालावार -कक्षावार छात्र पंजीयन दिनांक 06.01.2025 से प्रारंभ किया जा रहा है। छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी -

1. सर्वप्रथम समग्र आई.डी. प्राप्त छात्रों का पंजीयन एवं सत्यापन किया जाए। पंजीयन की प्रक्रिया **www.rskmp.in** पोर्टल पर दिनांक 06.01.2025 से 23.01.2025 तक उपलब्ध रहेगी।
2. जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है (जो दूसरे प्रदेश के छात्र हैं) उनके लिए पोर्टल पर पंजीयन व सत्यापन हेतु सुविधा दिनांक 20.01.2025 से 23.01.2025 तक उपलब्ध रहेगी।
3. छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शासकीय शालाओं के लिए संस्था के शिक्षक एवं अशासकीय शालाओं तथा मदरसा हेतु शालाओं को दी गई लॉगइन आई.डी. के माध्यम से किया जाना है।

4. छात्र पंजीयन व सत्यापन का कार्य शिक्षक द्वारा गंभीरता से पूर्ण किया जाए। ध्यान रखा जाए कि समग्र शिक्षा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र ही परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं।
5. यदि शाला अंतर्गत पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाला कोई छात्र वास्तविक रूप से शाला में अध्ययनरत नहीं है तो ऐसे छात्र को पोर्टल से हटाने (Unmap) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
6. यदि शाला अंतर्गत अध्ययनरत कोई छात्र परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो ऐसे छात्रों को उनकी समग्र आईडी के माध्यम से शाला में मैप करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
7. कक्षावार शाला में अध्ययनरत शतप्रतिशत छात्रों के पंजीयन उपरांत पंजीकृत छात्रों की सूची प्रिंट करने का विकल्प परीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसका उपयोग करके शिक्षक अपनी शाला के पंजीकृत छात्रों की सूची का प्रिंट निकालकर समस्त जानकारी की पुष्टि कर सकेंगे। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर पोर्टल पर सुधार किया जा सकेगा तथा पुन: संशोधित सूची प्रिंट प्राप्त कर समस्त जानकारी सही होने के प्रमाणिकरण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षावार सूची हस्ताक्षरित करके जन शिक्षक के माध्यम से बी.आर.सी.सी. कार्यालय में जमा करानी होगी। (उक्त प्रक्रिया शासकीय, अशासकीय एवं मदरसा सभी प्रकार की शालाओं को करनी होगी)
8. शाला में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु बी.आर.सी.सी एवं डी.पी.सी. की लॉगइन पर एडमिन सुविधा उपलब्ध रहेगी।
9. यदि कोई छात्र त्रुटिवश किसी अन्य शाला या कक्षा में मैप हो जाता है तो बी.आर.सी.सी. एवं डी.पी.सी. की आईडी से अनमैप किया जाकर उसे सही शाला या कक्षा में मैप किया जा सकेगा।
10. पंजीयन व सत्यापन की अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी दशा में परीक्षा पोर्टल पंजीयन हेतु नहीं खोला जाएगा। जिले की समस्त शासकीय शालाओं में छात्र पंजीयन एवं सत्यापन की समस्त जवाबदेही कक्षाशिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के साथ ही जनशिक्षक, बी.आर.सी.सी. एवं डी.पी.सी. की होगी तथा अशासकीय शालाओं एवं मदरसों में शाला प्रबंधन की होगी।
11. सी.डब्लू.एस.एन. छात्रों के लिए विभाग द्वारा विशेष छूट प्रावधानित है, अत: इनके लिए विषयों का चयन ध्यानपूर्वक किया जाए।
12. अशासकीय शालाएं, जो एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम के अनुसार भाषाओं का अध्ययन करवाते हैं उनके लिए पोर्टल पर अपनी शाला को एन.सी.ई.आर.टी. अथवा एस.सी.ई.आर.टी. के रूप में पंजीकृत करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। पूर्व वर्षों में यह देखा गया है कि स्कूल द्वारा यह कार्य गम्भीरता से नहीं किया गया जिससे परीक्षा के दौरान प्रश्नपत्र वितरण में कठिनाई होती है। पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज करने पर पूर्ण जवाबदेही संबंधित शाला की होगी एवं पोर्टल पर दर्ज जानकारी अनुसार ही प्रश्नपत्रों का वितरण किया जाएगा।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही समय-सीमा में कराना सुनिश्चित करें।

3/12/24

(हरजिंदर सिंह)
संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

निरंतर................

पृ.क्र./रा.शि.के./मूल्यांकन/वार्षिक मूल्यांकन/कक्षा 5,8/2024-25/...47... भोपाल, दिनांक ..03/01/2025

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. सचिव, मदरसा बोर्ड, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.।
9. प्राचार्य, आई.ए.एस.ई. व सी.टी.ई. समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
10. प्राचार्य, डाईट, समस्त म.प्र.।
11. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले म.प्र.।
12. जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी, समस्त जन शिक्षा केन्द्र म.प्र.।
13. बी.आर.सी.सी. समस्त विकासखण्ड म.प्र.।
14. एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

3/1/25

संचालक,
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल